झारखण्ड सरकार,

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

सं०:–03 / छात्रवृति(प्री एवं पोस्ट मैट्रिक)–04 / 2020 – 74

प्रेषक,

अजय नाथ झा, भा०प्र०से०
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

आदिवासी कल्याण आयुक्त,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक 8/1/21

विषयः– झारखण्ड अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछड़ी जाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के क्रियान्वयन के संबंध में।

प्रसंग :– विभागीय पत्रांक–2648, दिनांक–21.12.2020

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के क्रम में कहना है कि झारखण्ड अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछड़ी जाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के प्रावधानों के अन्तर्गत शिक्षण सत्र 2020–21 के लिए प्रक्रियात्मक कार्रवाई की तिथि को निम्नरूपेण विस्तारित की जाती है:–

क्र०सं०	प्रक्रियात्मक कार्रवाई	ई–कल्याण पोर्टल खुलने की तिथि	ई–कल्याण पोर्टल बंद होने की तिथि
1	नये शैक्षणिक संस्थानों द्वारा ई–कल्याण पोर्टल पर पंजीकरण एवं पंजीकृत संस्थानों द्वारा नवीनीकरण हेतु आवेदन	28.12.2020	20.01.2021
2	संबंधित छात्र / छात्रा द्वारा छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया	28.12.2020	25.01.2021
3	शैक्षणिक संस्थान द्वारा छात्र / छात्राओं के आवेदन का सत्यापन	28.12.2020	31.01.2021

अनुरोध है कि उक्त कार्यक्रम के अनुसार प्रेस विज्ञप्ति / विज्ञापन प्रकाशन की कार्रवाई करने की कृपा की जाएगा।

विश्वासभाजन,

ह० 8/1/21

(अजय नाथ झा)
सरकार के अपर सचिव।

F:\khushboo\Kaushal sir\Letter.docx